श्री संजय निरूपम : सभापति जी, इस विषय पर इस माननीय सदन में कई बार चर्चा हुई है और कई बार चिंता व्यक्त की गई है कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो केन्द्र की योजनाओं के लिए, विकास योजनाओं के लिए राज्यों के पास पैसे जाते हैं, उन पैसों का पूरा उपयोग नहीं होता और कई बार दुरुपयोग भी होता है। जो आंकड़े दिए गए हैं, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, जो उन्हें पैसा दिया गया है, निश्चित तौर पर उससे बहुत कम वहां खर्च हुआ है। ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारा फंड जो सेंटर की तरफ से गया था उसका दुरुपयोग हुआ है या कह सकते हैं कि डायवर्सन आफ फंड हुआ है। क्या कोई ऐसा केस माननीय मंत्री जी के सामने आया है? अगर आया है तो उसमें क्या एक्शन लिया गया है? बताने की कृपा करें।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : सर एक ही केस सामने आया था। एम्पलायमेंट जनरेशन योजना में करीब 35 करोड़ का डायवर्सन हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने सरकार का ध्यान दिलाया था और उसके बारे में करेक्टिव मैजर्स लेने के लिए उन्होंने हमें इन्फोर्म किया है।

Role of Electricity Regulatory Commissions

*567. DR. M.N. DAS : Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Electricity Regulatory Commissions which were created to play a crucial role in addressing crisis in the power sector has not been successful because most of the States have not yet reconciled to the concept of ERCs;

(b) if so, whether there are delays in appointments, resistance to delegating full powers to the Commissions;

(c) if so, what were the main reasons for the same;

(d) to what extent the Union Government has been able to implement the Electricity Regulatory Commissions in all States; and

(e) whether all the State Governments have been urged to implement this decision?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) to (e) Constitution of State Electricity Regulatory Commission (SERC) is optional under the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998. Section 17 of the Act provides that the State Government may

constitute SERC, if it deems fit. The Act also gives discretion to the State Government in terms of assignment of functions to SERCs. While sub-section (1) of section 22 of the Act stipulates mandatory functions of SERCs, sub-section 2 of section 22 provides for optional functions which may be conferred upon the SERCs by the State Government, if they so choose.

Twenty-one SERCs have been constituted/notified. Out of these seventeen are functional. Fifteen Commissions have already started issuing tariff orders.

Operationalisation of SERCs has been made a pre-condition for Central assistance under the Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP).

DR. M.N. DAS : Mr. Chairman, Sir, I have only one question to ask. We talk of reforms; we are proud of this age of computer science and information technology, but the answer reveals that Centre may propose something, but the States may dispose. Now, I would like to know from the hon. Minister how many States have not complied with the pre-condition for Central assistance. How can we carry our information revolution to rural India without electricity, without the power and in a situation where States are not co-operating with the Centre? What steps may be taken against the States in the larger interest of the people of this country?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, यह प्रश्न विनियामक आयोगों के संदर्भ में है। जो कानून अब अस्तित्व में है, उसके अंतर्गत यह स्टेट रेगुलेटरी एपायंट करना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह उनके लिए बंधनकारक भी नहीं है, फिर भी लगभग 21 राज्यों ने इस आयोग का गठन किया है। इनमें 17 आयोग जो कार्यरत हो चुके हैं और 15 आयोग ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ भी तय किया है। मैं माननीय सदस्य के इस मत से बिल्कुल सहमत हूं कि जो सहयोग राज्य सरकारों से मिलना चाहिए, विशेषकर ऊर्जा के सुधार कार्यक्रमों के संदर्भ में, उसमें कहीं दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण राज्यों को बाधित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो एपीडीआरपी के कार्यक्रम चलाते हैं और इस कार्यक्रम के तहत् जो भी सहयोग या जो भी फंड हम राज्यों को देने जा रहे हैं उसमें हमने यह कंडीशन रखी है कि इस सुधार कार्यक्रम को राज्य विनियामक आयोग के गठन के साथ यदि वे स्वीकार करेंगे तो ही एपीडीआरपी फंड उनको दिया जाएगा और इस बंधन के कारण अब राज्य सरकारों में सुधार निश्चित रूप से आया है।

MR. CHAIRMAN : Next supplementary for Shri M.N. Das.

DR. M.N. DAS : Sir, I don't want to ask second supplementary; I just wanted to know the names of the States.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY : Sir, it is stated that a pre-condition is there for the Central assistance under the Accelerated Power Development and Reform Programme. I would like to know from the hon. Minister what is the amount available with the APDRP, and since Andhra Pradesh is the first State to implement power reforms and constitute APERC, what is the assistance extended to Andhra Pradesh?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, यह एपीडीआरपी के संदर्भ में जो भी आंध्र प्रदेश को सहायता दी गई है, उसका ब्यौरा मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को दे दूंगा।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं

*568. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान जम्मू और कश्मीर में घटित आतंकवादी घटनाओं में कितने निर्दोष लोग मारे गए;

(ख) ऐसी घटनाओं में अर्धसैनिक बलों के कितने सैनिक और अधिकारी मारे गए; और

(ग) मारे गए लोगों और सैनिकों को दी गई सरकारी सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.1.2002 से 31.3.2003 तक की अवधि के दौरान मारे गए सिविलियनों सुरक्षा बल कार्मिकों (राज्य पुलिस, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तथा सेना) तथा आतंकवादियों की संख्या निम्नानुसार है :-

1.	सिविलियन	-	1200
2.	सुरक्षाबल कार्मिक	-	503
3.	आतंकवादी	-	1973

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार आतंकवाद के शिकार सिविलियनों के निकटतम संबंधी को मौजूदा मानकों के अनुसार मृत्यु, घायल होने आदि की स्थिति में अनुग्रह राहत प्रदान करती है। राज्य सरकारों के आदेशों के अनुसार निकटतम संबंधी को किसी आतंकवादी घटना में हुई मृत्यु के मामले में 1,00,000 रु., स्थायी विकलांगता, गंभीर रूप से घायल होने तथा मामूली रूप से घायल होने के मामले में क्रमश: 75,000/- रु., 5,000/- रु. तथा 1,000/- रु. अदा किए जाते हैं। आतंकवादी घटनाओं में मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों तथा स्वयंसेवक सिविलियन एस.पी.ओ. के